

ORDER-SHEET
***The Electricity Ombudsman, MPERC, 5th Floor, Metro Plaza,
Bhopal***

Case No. L00-32/14

<i>Date of order of proceeding</i>	<i>Order of proceeding with Signature of presiding officer</i> प्रो० ओंमकार ट्रेडर्स विरुद्ध कार्यपालन यंत्री (दक्षिण) संभाग, म०प्र० पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर	<i>Signature of parties or pleaders where necessary</i>
12.01.15	<p>आवेदक स्वतः उपस्थित ।</p> <p>अनावेदक की ओर से श्री जे.ए. शास्त्री, सहायक अभियंता उपस्थित ।</p> <p>1. उपभोक्ता ने विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, जबलपुर के आदेश दिनांक 31.10.13 के विरुद्ध यह अभ्यावेदन दिनांक 31.10.14 को प्रस्तुत किया है तथा अभ्यावेदन के साथ देरी को क्षमा किए जाने का आवेदन पत्र पेश किया है ।</p> <p>2. फोरम के आदेश तथा उपभोक्ता के आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों से प्रतीत होता है कि उपभोक्ता एक छोटा विद्युत उपभोक्ता है । फोरम के आदेश का वास्तविक अर्थ न समझने के कारण ही उसने अभ्यावेदन देरी से प्रस्तुत किया है, अतः उसकी ओर से प्रस्तुत आवेदन—पत्र को स्वीकार किया जाता है तथा देरी को क्षमा कर अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।</p> <p>3. आवेदक गैर घरेलू उपभोक्ता है । उक्त उपभोक्ता के परिसर में स्थापित मीटर की रीडिंग 1 अप्रैल 2013 में ली गई जिसमें मीटर में खपत 19751 दर्ज थी, जबकि इसके पहले दिनों खपत या इसके आसपास की खपत भी दर्ज नहीं हुई थी । उपभोक्ता ने इस बात की शिकायत अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी के अधिकारियों से की तथा मीटर की जांच कराने का अनुरोध किया गया । मीटर की जांच करने पर जांचकर्ता अधिकारी ने इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की थी कि मीटर सही है ।</p> <p>4. उपभोक्ता ने इस बात की शिकायत फोरम के समक्ष की । फोरम ने विद्युत वितरण कम्पनी से उक्त विषय के संबंध में जानकारी चाहे जाने पर सहायक अभियंता ने पत्र दिनांक 01.10.2013 के द्वारा यह अभिमत दिया कि मीटर में दर्ज एम.डी. अस्वाभाविक है, ऐसी स्थिति में मीटर की जांच एम.आर.आई. से कराए जाने पर ही वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है । मीटर की जांच एम.आर.आई. से कराने का प्रयास अनावेदक के द्वारा किया गया, परन्तु एम.आर.आई. की जांच करने वाली संस्था ने इस आशय की जानकारी दी कि कुल भार 10 KWH से नीचे है, अतः ऐसे मीटर की एम.आर.आई. किया जाना संभव नहीं है ।</p> <p>5. उपभोक्ता की शिकायत का निराकरण करते समय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के समक्ष उक्त दस्तावेज थे, परन्तु फोरम द्वारा इन तथ्यों पर विचार नहीं किया गया था तथा यह आदेश दिया गया था कि उभयपक्ष ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है, जिससे मीटर में तकनीकी खराबी प्रमाणित हो । जबकि अनावेदक की ओर से प्रस्तुत इन्हीं दस्तावेजों से यह स्पष्ट होता है कि मीटर में तकनीकी खराबी थी, जिसके कारण उसमें अस्वाभाविक खपत एवं एम.डी. दर्ज हुई थी, इस तथ्य का समर्थन इस बात से भी होता है कि अक्टूबर 12 में उपभोक्ता की खपत 3 यूनिट थी, नवम्बर में 60 यूनिट थी,</p>	

ORDER-SHEET
***The Electricity Ombudsman, MPERC, 5th Floor, Metro Plaza,
Bhopal***

Case No. L00-32/14

<i>Date of order of proceeding</i>	<i>Order of proceeding with Signature of presiding officer</i>	<i>Signature of parties or pleaders where necessary</i>
	<p>प्रो० औंमकार ड्रेडर्स विल्ड कार्यपालन यंत्री (दक्षिण) संभाग, म०प्र० पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर</p> <p>दिसम्बर में 69 थी, फरवरी में 195 यूनिट थी, अप्रैल में 22 यूनिट थी । मीटर बदलने के बाद मई में खपत 86 यूनिट थी, जून में 155 यूनिट थी, जुलाई में 227 यूनिट थी तथा अगस्त में 279 यूनिट थी । इस तरह की किसी भी महीने में दर्ज खपत इतनी अधिक नहीं थी, जिसे मार्च महीने में दर्ज खपत के समतुल्य माना जा सके ।</p> <p>4. मीटर एक तकनीकी उपकरण है और ऐसे तकनीकी उपकरण में किसी महीने या किसी विशेष दिन ऐसी अस्वाभाविक खपत दर्ज हो सकती है, जिसे तकनीकी परीक्षण में न पकड़ा जा सके । मीटर टेस्ट रिपोर्ट से यही साबित होता है कि मीटर जला नहीं था उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया था, परन्तु उसमें जो एम.डी. दर्ज हुई थी वह अस्वाभाविक थी, क्योंकि उपभोक्ता के परिसर में जो मीटर स्थापित था उस मीटर की क्षमता ही नहीं थी कि वह दर्ज एम.डी. के अनुपात में विद्युत प्रवाह को बहन कर सकता । यदि इस मात्रा में विद्युत का उपयोग किया जाता तो मीटर जल सकता था जबकि मीटर नहीं जला था, इससे यही साबित होता है कि जिस अनुपात में खपत दर्ज की जा रही थी उस अनुपात में विद्युत का उपयोग नहीं किया जा रहा था ।</p> <p>5. उक्त तथ्य से यह स्पष्ट है कि मार्च महीने में उपभोक्ता के परिसर में स्थापित मीटर में जो खपत दर्ज हुई थी वह अस्वाभाविक थी, अतः मीटर में दर्ज उक्त खपत के आधार पर अनावेदक उपभोक्ता से विद्युत शुल्क की वसूली नहीं कर सकता है । मीटर खराब था, इसी कारण यह खपत दर्ज हुई थी, अतः नियमानुसार बिल 3 महीने की खपत के औसत के आधार पर उपभोक्ता से मार्च महीने में उपयोग किए विद्युत की खपत का मूल्य वसूल किया जाना चाहिए तथा उपभोक्ता को संशोधित देयक जारी किया जाना चाहिए ।</p> <p>6. अतः उपभोक्ता का अभ्यावेदन स्वीकार किया जाता है । फोरम का आदेश अपास्त किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि मार्च 2013 में मीटर में दर्ज विद्युत खपत के आधार पर उपभोक्ता को जो देयक जारी किया गया है उस देयक को निरस्त किया जाए तथा मार्च 2013 के पूर्व के 3 महीने के औसत खपत के आधार पर उपभोक्ता को संशोधित देयक जारी किया जावे तथा उपभोक्ता से कोई दण्डात्मक वसूली न की जाए ।</p> <p>7. आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।</p> <p style="text-align: right;">विद्युत लोकपाल</p> <p>प्रतिलिपि :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. आवेदक की ओर प्रेषित । 2. अनावेदक की ओर प्रेषित । 3. फोरम की ओर प्रेषित । <p style="text-align: right;">विद्युत लोकपाल</p>	